फर्द अहकाम

वि... / ...य: सहायक कलक्टर आमेर (मु. जयपुर)

सुजा **बनाम** कान्ता

...संख्या /वर्ष 40/20 धा. /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
13/1/2023	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल ड्यूटी पर पधारे हुए है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/1/2023 को पेश हो।	
18/1/2023	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली शामिल आदेश........ अनुसार आगामी पेशी दिनांक 3/2/2023 को पेश हो।	
3/2/2023	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/2/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. [redacted]	
17/2/2023	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमा होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 40 / 2020 — वाद प्रस्तुति दिनाक : 27.07.2020

1. सुजा पुत्र मन्ना जाति जाट निवासी ग्राम अटलबिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
2. सुणा पुत्र मन्ना जाति जाट निवासी ग्राम अटलबिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

.... वादी

बनाम

1. कान्ता देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी ग्राम बाढ जाहोता पटवार हल्का जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट -- वादी की ओर से
(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांकः– 17.02.2023

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, वादीगण ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि ग्राम मोडी पटवार हल्का देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 186 पुराना 157 के खसरा नम्बर 625 रकबा 3.84 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 5 / 32 व वादी संख्या 2 का हिस्सा 5 / 24 स्थित है। तथा शेष हिस्सा सहखातेदारान का राजस्व अभिलेख में दर्ज व अंकित है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार मनबंट के आधार पर खसरा नम्बर 625 की पूर्वी सीमा पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादी अर्से दराज से अन्य सहखातेदारों के साथ पारस्परिक मनबंट के आधार पर खसरा नम्बर 625 के पूर्वी सीमा पर काबिज काश्त हैं एवं अर्से दराज से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण से द्वेषता व ईर्ष्या रखती है। इस कारण दिनांक 23.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 कुछ अवैध भूमाफिया किस्म के लोग शंकर लाल मण्डालिया, सुल्तान देवन्दा के साथ आकर वादीगण की उक्त भूमि के पूर्वी दिशा की सीमा में नीव खोदने लगे वादीगण ने जब इसके लिये मना किया तो वे वादीगण के साथ गाली गलोच करने लगे। वादीगण ने दिनांक 24.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 व उसके साथ आये अवैध भूमाफियो लोगो के खिलाफ पुलिस थाना कालाडेरा में एक

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 2/1 रकबा 0.1300 हैक्टेयर वादीगण की भूमि की सीमा से लगती हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 जबरन वादीगा की उक्त भूमि को हडप करने की कुचेष्टा से वादीगण की उक्त भूमि की पूर्वी सीमा पर नींव खोदकर निर्माण कर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करने को आमादा है। जिसका कोई विधिक अधिकार नहीं है अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित जमावंदी संवत 2076–2079, नक्शा फोटो प्रति, एफआईआर की फोटो प्रति व फोटो ग्राफ्स पेश किया।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित होन से दिनांक 20.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी द्वारा साक्ष्य का अवसर देने के बावजूद पेश नहीं करने पर दिनांक 28.07.2022 को साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादी को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादी की भूमि प्रतिवादी की भूमि से लगवा है। दोनो पक्षो के महज सीमा विवाद हैं विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 625 रकबा 3.85 हैक्टेयर का वादी रिकार्डेड खातेदार है, यह जमाबंदी (संवत 2076–2079) से सिद्व है। परन्तु वादी का जमावंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की अवधारणा साबित नहीं होती है। वादी ने इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

वादी ने उक्त वाद में अपनी शहादत प्रस्तुत नहीं की है एवं इसी कारण वादी की साक्ष्य दिनांक 28.07.2022 को बंद की गई है, किसी भी प्रस्तुत वाद को निस्तारित करने हेतु साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है उक्त वाद में वादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 28.07.2022 को साक्ष्य का अवसर बंद किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी अपने दावे के समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य, कब्जे की अवधारणा साबित करने के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाये है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या 40 / 2020
बउनवानी सुजा बनाम कान्तादेवी
निर्णय दिनांक :– 17.02.2023

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुनिल शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 40 / 2020 वाद प्रस्तुति दिनाक : 27.07.2020

1. सुजा पुत्र मन्ना जाति जाट निवासी ग्राम अटलबिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
2. सुणा पुत्र मन्ना जाति जाट निवासी ग्राम अटलबिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

.... वादी

बनाम

1. कान्ता देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी ग्राम बाढ जाहोता पटवार हल्का जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

वादी अपने दावे के समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य, कब्जे की अवधारणा साबित करने के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाये है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसरख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 17.02.2023 को जारी किया ।

दस्तखत—–
ओहदा—–

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफर्रित	4 रूपये		मुतफर्रित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर